



टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी

कोलकाता-700001

दिनांक: **10.05.2024**

कार्यालय आदेश सं 09/2024

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश दिया गया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि टी बोर्ड के संबंधित अधिकारियों को आवंटित बोर्ड के कार्यालय वाहनों का उपयोग अब से उनके निवास से कार्यालय तक आने-जाने के साथ ही, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति सहित आधिकारिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विशेष रूप से उनके द्वारा वहन किया जाएगा।

यदि किसी अपरिहार्य परिस्थिति के कारण बोर्ड कार्यालय के वाहन को गैर-इयूटी यात्राओं के लिए उपयोग करना पड़ता है, तो यात्राओं को नियमित करने के अलावा, प्रचलित मानदंडों के अनुसार संबंधित अधिकारियों से निम्नलिखित दरों पर वसूली की जाएगी :-

(क)	रु. 4.50 प्रति किलोमीटर अथवा छोटी कारों के लिए उसका हिस्सा (16 एचपी तक);
(ख)	रु. 6.00 प्रति किलोमीटर अथवा छोटी कारों के लिए उसका हिस्सा (16 एचपी तक);
(एक किलोमीटर के अंश को अगले उच्च पूर्णांक तक पूर्णांकित किया जाना चाहिए)	

इसके अलावा हिरासत की अवधि के लिए हिरासत शुल्क रु. 3.00 प्रति घंटा, चाहे वाहन के सामान्य कामकाजी घंटों के भीतर या बाहर और चालक को देय ओवरटाइम भत्ता, यदि कोई हो, वसूली योग्य है।

कार के कार्यालय/गैरेज से निकलने के समय से लेकर कार्यालय/गैरेज में लौटने तक तय की गई दूरी के लिए शुल्क होगा।

(डॉ. ऋषिकेश राय)

सचिव (प्रभारी)

वितरण :-

1.	कार्यपालक निदेशक, टी बोर्ड, कूनूर & गुवाहाटी	
2.	वि.स एवं मु.ले.अ.टी बोर्ड, कोलकाता	
3.	निदेशक चाय विकास, टी बोर्ड, कोलकाता	
4.	टी बोर्ड के सभी क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय	
5.	संपदा अधिकारी, टी बोर्ड, कोलकाता	संबंधित कार्यालय के वाहनों की लॉग बुक समय-समय पर अद्यतन करने के अनुरोध सहित
6.	उपाध्यक्ष व सचिव के नि.सह	
7.	आईटी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
8.	टीबीइए	
9.	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियाँ सहित

Ref. File No. 23(29)/Estt/2016